फैज़ अहमद किदवई आई.ए.एस.
प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त

म.प्र. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड

अर्द्ध शा. पत्र क्र. : विपणन/भू-रा./319/1882
दिनांक : 10/5/19

विषयः-मण्डी फीस की भू-राजस्व के रूप मे वसूली करने के संबंध मे।

प्रिय महोदय,

मध्यप्रदेश मे अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय की गतिविधियां म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत संचालित होती है। इस अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज के संव्यवहार पर राज्य शासन द्वारा प्रत्येक 100 रूपये पर 1 रूपये 50' पैसे की दर से मण्डी फीस नियत है, जो कि क्रेता द्वारा भुगतान योग्य है। मण्डी अधिनियम की धारा 19-ख(2) मे प्रावधानित है कि मण्डी फीस का निर्धारित समयावधि मे भुगतान नही होने पर ब्याज सहित मण्डी फीस भू-राजस्व बकाया की भांति वसूल की जायेगी। वर्तमान मे प्रदेश की मण्डी समितियों मे लगभग 1439 प्रकरणो मे अनुमानित 71.10 करोड़ रूपये मण्डी फीस की भू-राजस्व के रूप मे वसूली लंबित है।

मण्डी बोर्ड और मण्डी समितियों को मण्डी फीस के रूप मे प्राप्त होने वाली राशि का एक अंश मण्डी प्रांगण मे अधौसंरचना विकास पर व्यय किया जाता है, जिससे स्थानीय व्यापारियों के अलावा कृषक भी लाभांवित होते है। मण्डी फीस की भू-राजस्व के रूप मे व्यापक राशि अवशेष रहने के कारण कृषि उपज के विपणन से संबंधित विकास कार्यो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। ऐसे प्रकरण दीर्घ अवधि तक लंबित रहने की दशा मे कई फर्मो का अस्तित्व समाप्त हो जाने पर उनसे राशि वसूल नही हो पाती है। जिसकी वजह से शासन को राजस्व की क्षति हो रही है।

अतः मेरे द्वारा मण्डी बोर्ड के आंचलिक संयुक्त/उप संचालको को निर्देशित किया गया है कि वह आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर जिले मे भू-राजस्व के रूप मे लंबित मण्डी फीस की जानकारी उपलब्ध कराए। इस सबंध मे आपसे आग्रह है कि संबंधित तहसीलदारों को शोध्य मण्डी फीस एवं अन्य राशियों की वसूली भू-राजस्व के प्रकरणो मे तत्परता पूर्वक कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रसारित करने साथ ही इस विषय को आपकी समीक्षा सूची मे शामिल करने का कष्ट करें, ताकि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके।

शुभकामनाओं सहित,

(फैज अहमद किदवई)

प्रति,

श्री.............................(आई.ए.एस),
कलेक्टर,
जिला...............................(म0प्र0)

sanjay batham DO

किसान भवन, 26, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462004
दूरभाष : 0755-2553429, फैक्स : 0755-2553806
E-mail : mdmandiboard@gmail.com, Website : mpmandiboard.gov.in

पृ.क्र. / बी–6 / नियमन / भू–राजस्व / 319 / 1883 भोपाल दिनांक 10 / 05 / 2019

प्रतिलिपि :–

1 संयुक्त / उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं रीवा को निर्देशित किया जाता है की आप संभाग के सभी जिला – कलेक्टरो से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर उन्हे संबंधित जिले की भू–राजस्व के रूप मे शोध्य मण्डी फीस एवं अन्य राशियो की प्रकरणवार जानकारी प्रदाय कर उसकी तत्परता पूर्वक वसूली के लिये तहसीलदारो को निर्देश जारी करवाए। आपके स्तर पर भू– राजस्व की वसूली की प्रगति की सतत् समीक्षा की जाये।

2 भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति......................(समस्त) को निर्देशित किया जाता है। वह अपने क्षेत्र अन्तर्गत मण्डी समितियों के मण्डी सचिवो से भू–राजस्व के रूप मे शोध्य मण्डी फीस एवं अन्य राशियों की प्रकरणवार जानकारी प्राप्त कर भू–राजस्व के प्रकरणो की वसूली मे गति लाए।

आयुक्त / सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल